फैक्टशीट

बिहार में घरेलू हिंसा अधिनियम और बाल विवाह अधिनियम का कार्यान्वयन

ऑक्सफैम इंडिया
OXFAM
India

मार्च 2018

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने, 2009 में, विभिन्न लैंगिक विकास सूचकों पर कुछ राज्यवार विश्लेषण किया था और विभिन्न सूचकांकों के मूल्य के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्थान दिया है। उस विश्लेषण के अनुसार, बिहार का लैंगिक विकास सूचकांक (जीडीआई) का मूल्य 0.525 था, और यह 35 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में अंतिम (35 वे) स्थान पर था।

घरेलू हिंसा:

घरेलू हिंसा क्या है?

घरेलू हिंसा में वे हानि या चोट शामिल हैं जो महिलाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग या मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य को खतरे में डालती है। यह शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक दुर्व्यवहार के माध्यम से भी हो सकता है।

महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध हिंसा बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन है और लैंगिक असमानता और भेदभाव के सबसे प्रबल रूपों में से एक है।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (पीडब्ल्यूडीवीए) 2005, वर्ष 2006 में लागू हुआ और इसका उद्देश्य संविधान के तहत महिलाओं के प्रत्याभूत अधिकारों को अधिक प्रभावी संरक्षण प्रदान करना है जो परिवार के भीतर होने वाली किसी भी तरह की हिंसा और इसके साथ जुड़े या प्रासंगिक मामलों की शिकार हैं।

परंतु, भारत में पीडब्ल्यूडीवीए के अस्तित्व में आने के एक दशक के बाद भी, इसके कार्यान्वयन में कई खामियां बनी हुई हैं। नतीजतन, बिहार सहित कई राज्यों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा अभी भी अपने उच्चतम स्तर पर है।

चार्ट 1: बिहार में घरेलू हिंसा की घटनाएं

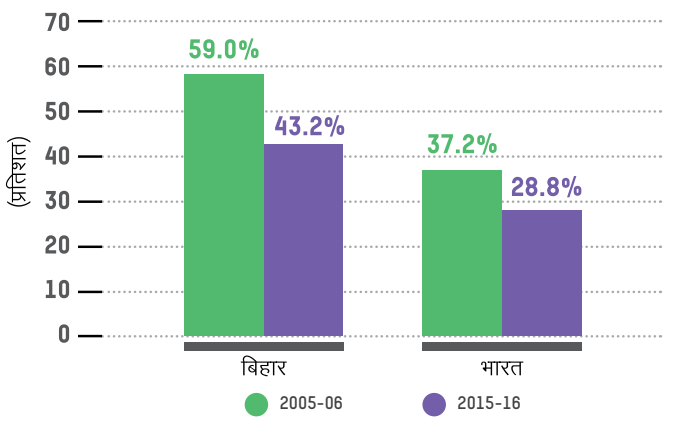

स्रोत: एनएफएचएस 3 व 4

आम तौर पर, महिलाओं के खिलाफ समग्र अपराध और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के बीच एक सहसंबंध है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की उच्च दर वाले राज्यों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की दर भी उच्च दिखाई देती है।

- नवीनतम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट, 2017 के अनुसार, (भारत में अपराध 2016 – सांख्यिकी), भारत में, 'महिलाओं के खिलाफ अपराध' के मामले में 2015 की तुलना में 2016 में 2.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। भारत में महिलाओं के खिलाफ दर्ज किए गए कुल अपराधों (3,438,954) का 4.0% (13,400) बिहार में दर्ज किया गया है।
- इसी एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक, 987 दहेज संबंधित मौतों के साथ, बिहार भारत में (7621) उत्तर प्रदेश (2473) के बाद दूसरे स्थान पर रहा। अर्थात, भारत में कुल दहेज के कारण हुई मौतों में 12.9% हिस्सा बिहार का है।

- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–4 (एनएफएचएस–4) के अनुसार, पिछले दशक, 2015–16 तक, में काफी गिरावट के बावजूद राज्य की 43.2% महिलाओं (15–49 वर्ष आयु वर्ग की) ने कभी न कभी घरेलू हिंसा का सामना किया था।
- 2011 की जनगणना के अनुसार, बिहार में 15–49 वर्ष आयु वर्ग की कुल 2.3 करोड़ महिलाएं थी। इसका मतलब है, पूर्ण रूप से, 2015–16 में, वहां कम से कम 1.0 करोड़ ऐसी महिलाएं थीं जिन्होंने अपने जीवनकाल में घरेलू हिंसा का सामना किया था (चार्ट 2)। तथापि, बिहार राज्य महिला विकास निगम के रिकॉर्ड के अनुसार, वर्ष 2013–14 में घरेलू हिंसा के खिलाफ पंजीकृत मामलों की संख्या 3488 थी जो कि 2014–15 में बढ़कर 4016 हो गई है। इस प्रकार वहाँ, महिलाओं द्वारा घरेलू हिंसा के मामलों की शिकायत से जुड़ी हुई सामाजिक कलंक और परिवार के नाम पर बदनामी की वजह से घरेलू हिंसा के मामलों की सकल शिकायतें कम रही हैं। नतीजतन, राज्य में महिलाओं का केवल एक छोटा अंश ही घरेलू हिंसा के खिलाफ कानूनी संरक्षण प्राप्त कर रहा है।
- एनएफएचएस–4 (2015–16) के अनुसार, बिहार में, कभी भी किसी के भी द्वारा शारीरिक या यौन हिंसा का सामना करने वाली केवल 13% महिलाओं ने ही मदद की मांग की है और हिंसा के लिए मदद मांगने वाली केवल 3% पीड़ित महिलाओं ने ही पुलिस की मदद ली है।
- यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य स्तर पर घरेलू हिंसा की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए विभिन्न डेटाबेस का उपयोग किया जाता है। ये डेटाबेस कई एजेंसियों द्वारा तैयार किए जाते हैं, जो विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करती हैं। नतीजतन, ये डेटाबेस एक राज्य के भीतर भी घरेलू हिंसा के विभिन्न स्तर दर्शाते हैं। यह समस्या के समुचित मूल्यांकन के लिए एक बड़ी चुनौती है।

चार्ट 2: 15–49 आयु वर्ग की महिलाओं की संख्या (2015–16 में) जिन्हें कभी भी घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ा – बिहार

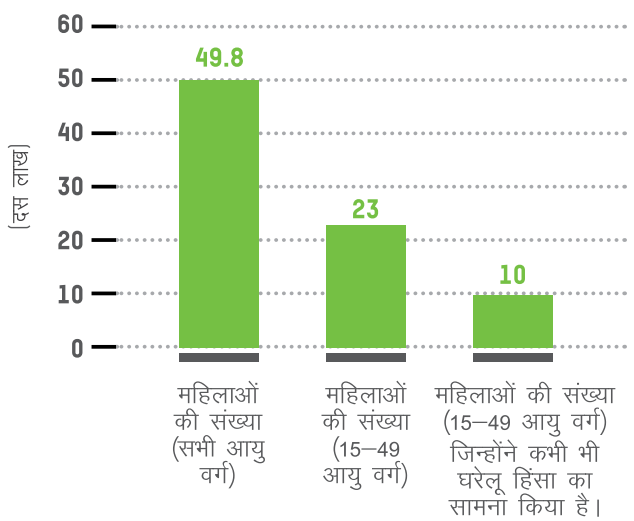

स्रोत: जनगणना 2011 और एनएफएचएस (2015–16) डेटा से अनुमानित

घरेलू हिंसा के मुद्दों के समाधान के लिए प्रमुख कार्यक्रम / योजना / पहल 181 महिला हेल्पलाइन, वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर (ओएससीसी) और महिला आश्रय गृह आदि है, जो पीडब्ल्यूडीवीए 2005 के दायरे के अंतर्गत आते हैं।

वर्तमान में, बिहार के 38 जिलों में से 35 जिलों में सुरक्षा अधिकारी (डीपीओ) द्वारा प्रबंधित हेल्पलाइन हैं। कुछ जिलों में ये एनजीओ द्वारा चलाए जा रही हैं। इन हेल्पलाइन पर पंजीकृत अधिकांश मामले (लगभग 70%) घरेलू हिंसा के होते हैं। 2013 में, सुरक्षा अधिकारियों की संख्या 21 थी।

वर्तमान में, केवल पटना में 1 'वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर' (ओएससीसी) है और महिला विकास निगम (डब्लूडीसी) 7 और जिलों में ओएससीसी की स्थापना करने की योजना बना रहा है।

केअर (सीएआरई) द्वारा एक अध्ययन में पाया गया है कि बिहार में घरेलू हिंसा के 82 प्रतिशत से ज्यादा पीड़ित संबंधित संस्थानों जैसे कि हेल्पलाइन, पुलिस स्टेशनों, गैर–सरकारी संगठनों द्वारा राज्य में प्रदान की जा रही निवारण सेवाओं से असंतुष्ट हैं। बिहार में केवल 67 प्रतिशत सुरक्षा अधिकारी और 42 प्रतिशत पुलिस स्टेशन ही शिकायत दर्ज करते हैं।

बिहार में जिलों की संख्या को देखते हुए ओएससीसी, डीपीओ और आश्रय गृहों की संख्या पर्याप्त नहीं है (चार्ट 3)।

वर्तमान में 24 जिलों में अल्प आवास गृह (आश्रय गृह) की स्थापना की गई है।

बिहार सरकार ने स्वास्थ (SWASTH) कार्यक्रम के तहत घरेलू हिंसा से जूझने वाली महिलाओं की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और लैंगिक न्याय सुनिश्चित किया है। स्वास्थ कार्यक्रम के तहत, डब्ल्यूडीसी ने महत्वपूर्ण प्रयासों जैसे कि वीएडब्ल्यूजी और जेंडर पैकेज, लैंगिक संसाधन केंद्र और ग्राम वार्ता, इत्यादि को लागू करने और बनाए रखने के लिए 105.71 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

चार्ट 3: बिहार में ओएससीसी, आश्रय गृह, डीपीओ और डीएलएसए की संख्या

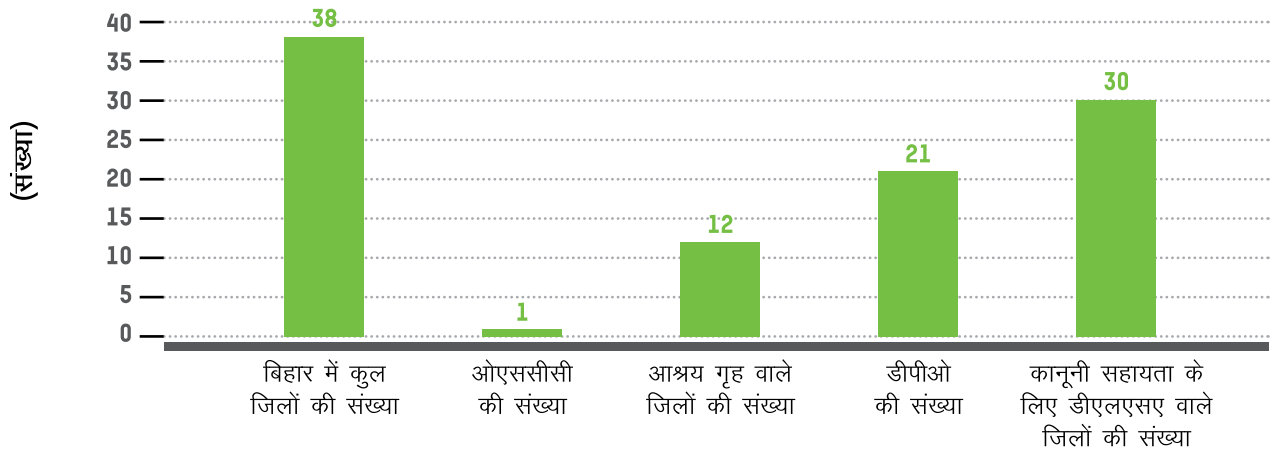

स्रोतः डब्ल्यूसीडी, बिहार प्रशासन

घरेलू हिंसा के शिकार लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए बिहार राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने 30 जिलों में जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) का गठन किया है।

बाल विवाहः

बाल विवाह क्या है?

बाल विवाह दो लोगों के बीच कोई कानूनी या पारंपरिक गठबंधन है जहां कम से कम एक पक्ष 18 वर्ष से कम उम्र का हो।

'बाल विवाह' जैसी प्रतिकूल सामाजिक संस्थाएं एक ऐसी समस्या है जो समग्र लैंगिक विकास में बाधा पैदा करती है और बिहार बाल विवाह की उच्चतम घटनाओं वाले राज्यों में से एक है।

बाल विवाह से बच्चों और किशोरों की रक्षा के लिए, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 बनाया गया है।

- बाल विवाह के आंकड़ों की कमी और डेटाबेस में एकरूपता की कमी है। एनसीआरबी द्वारा दर्ज की गई बाल विवाह की घटनाएं वास्तव में वास्तविकता से बहुत कम हैं।
- राष्ट्रीय औसत 26.8% की तुलना में बिहार में, 20–24 साल की उम्र वाली महिलाओं में से 42.5% का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले (एनएफएचएस–4) हो जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार, 20–24 वर्ष के आयु वर्ग में 38.5 लाख महिलाएं थीं। इसका अर्थ है कि 2015–16 में बिहार में, कम से कम 16.4 लाख (जनगणना के आंकड़ों से अनुमानित) ऐसी महिलाएं थीं जिनका विवाह 18 साल की उम्र से पहले हुआ था।
- एनएफएचएस–4 के सर्वेक्षण में यह भी पता चलता है कि सर्वेक्षण के समय पहले से ही माँ या गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत (15–19 वर्ष आयु) 12.2% था।
- हाल ही में यूनिसेफ की रिपोर्ट (2006) के अनुसार, बिहार में लड़की के विवाह की औसत आयु 17.2 वर्ष थी। महिला पर अनुसंधान के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के अनुसार (2014 में) बिहार राज्य में बाल विवाह का प्रसार 60% है।

- राज्य स्तर पर, उप–विभागीय अधिकारी (एसडीओ) को बाल विवाह निरोधक अधिकारियों (सीएमपीओ) के रूप में नामित किया गया है। सीएमपीओ को सहायता प्रदान करने के लिए राज्य में 36 महिला हेल्पलाइन हैं।
- संस्थागत देखभाल के लिए, बिहार में 13 बाल गृह कार्यात्मक हैं। इनमें से 3 घर बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं और बाकी घर एनजीओ द्वारा चलाए जा रहे हैं क्योंकि ये एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) के तहत आते हैं।
- 2017 में, बिहार में कुल 38 जिलों की तुलना में केवल 12 जिलों में जिला बाल संरक्षण समिति (डीसीपीसी) का गठन किया गया है।
- बाल संरक्षण के लिए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भारी कमी है। राज्य में 201 की आवश्यकता के मुकाबले केवल 142 डीसीपीसी काम कर रहे हैं और 342 की आवश्यकता के मुकाबले केवल 119 जिला बाल संरक्षण इकाइयां हैं।

चार्ट 4: बाल संरक्षण कर्मचारी बिहार – स्वीकृत बनाम संचालित

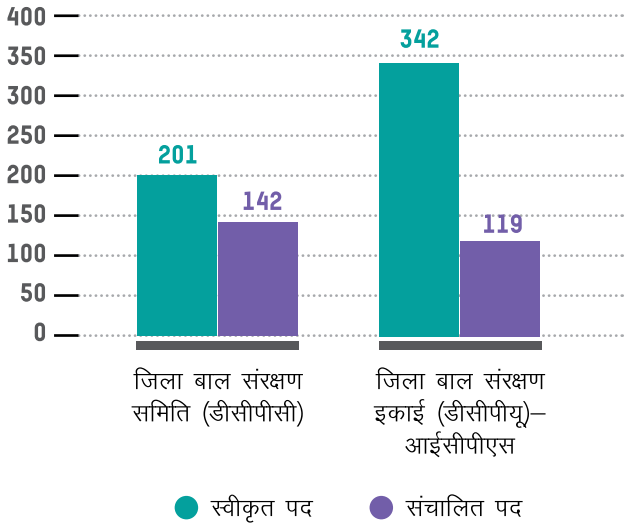

स्रोतः बिहार सरकार

लेखकः शक्ति गोल्डर
इनपुटः रानु कायस्थ भोगल, जूली थेक्कुदन, दिया दत्ता, रजिनि मेनन, रंजना दास और सुष्मिता गोस्वामी
डेटा संकलनः इक्विटि फाउंडेशन

©औक्सफैम इंडिया, अप्रैल 2017
इस प्रकाशन का प्रकाशनाधिकार सुरक्षित है लेकिन वकालत, चुनाव प्रचार, शिक्षा और अनुसंधान प्रयोजनों के लिए पाठ्य सामग्री निःशुल्क उपयोग की जा सकती है, बशर्ते इसका स्रोत पूर्ण रूप में उल्लेखित किया जाए। प्रकाशनाधिकार धारक का अनुरोध है कि प्रभाव आकलन उद्देश्यों के लिए इस तरह के सभी प्रकार के प्रयोग उसके पास पंजीकृत कराए जाएं। अन्य किसी भी परिस्थिति में प्रयोग के पूर्व अनुमति ली जानी चाहिए। ई–मेलः sakti@oxfamindia.org
औक्सफैम इंडिया, एक पूरी तरह से स्वतंत्र भारतीय संगठन, 20 संगठनों वाले एक अंतरराष्ट्रीय परिसंघ का सदस्य है। औक्सफैम एक अधिकार आधारित संगठन है, जो जमीनी स्तर पर किए जा रहे प्रयासों को स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक नीतिगत विकासों से जोड़कर गरीबी और अन्याय से लड़ता है।

औक्सफैम इंडिया – चौथी व पांचवी मंजिल, श्रीराम भरतीय कला केन्द्र, कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001
फोनः +91(0)11 46538000 | वेबः www.oxfamindia.org

औक्सफैम इंडिया 20 औक्सफैम के एक वैश्विक परिसंघ का एक सदस्य है और भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 8 के तहत कंपनी के रूप में पंजीकृत है।

ऑक्सफैम इंडिया
OXFAM
India